कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांकः प 11(01)प्रशि०/पॉलिसी/पार्ट–2/2014/ 5950 दिनांकः 11 अगस्त, 2014

स्थाई आदेश संख्याः 15/2014

रिक्रूट कानि0 प्रारम्भिक प्रशिक्षण

नव आरक्षकों को वर्तमान समय में राजस्थान पुलिस की आवश्यकताएं एव पुलिस के समक्ष चुनौतियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भिक प्रशिक्षण में सुधार हेतु मेरे द्वारा मुख्यालय स्तर पर उच्चाधिकारियो की कमेटी गठित की गई। गठित कमेटी द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार–विमर्श एवं इन्डोर, आउटडोर के सभी विषयों के विभिन्न आयामो एवं पहलुओं का गहनता से अध्ययन करवाकर वर्तमान पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

02 नवीनतम पाठ्यक्रम में ब्यूरों ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम की सहायता ली जाकर राजस्थान राज्य के स्थानीय अधिनियमों एवं नियमो को ध्यान में रखते हुये राजस्थान पुलिस की समसामयिक आवश्यकताओं अनुरूप परिवर्तन किया गया है। पाठ्यक्रम में पुलिस आरक्षक के मूलभूत कर्तव्यों के व्यावहारिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है।

03 यह स्थायी आदेश राजस्थान पुलिस के नव नियुक्त आरक्षकों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान करता है। नव आरक्षकों के प्रशिक्षण को नया रूप देने की आवश्यकता थी, जिससे उन्हें शारीरिक रूप से दक्ष बनाया जा सके; उनके ज्ञान–कौशल में वृद्धि करने–जिसमें अनुशासन, नवीनतम विधिक ज्ञान एवं नई अवधारणाए जैसे व्यवसायिक दक्षता, वर्तमान में पुलिस की कार्य प्रणाली, व्यवहार कौशल आदि विषय सम्मिलित हों। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नव आरक्षकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम बनाना है ताकि उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्वों को वे सुचारू रूप से पूरा कर सकें तथा साथ ही उन्हें अनुशासनबद्ध, व्यावसायिक रूप से दक्ष तथा शारीरिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। इण्डोर एवं आउटडोर पाठ्यक्रम एवं विषयों का विवरण परिशिष्ट प्रथम एवं द्वितीय में दिया गया है।

04 अवधि : प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की कुल अवधि 9 माह, (270 दिवस) की होगी। इस अवधि में मध्यावधि एवं अंतिम परीक्षाएं, जंगल कैम्प एवं पासिंग आउट परेड भी सम्मिलित है।

05 प्रशिक्षण प्रक्रिया : प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाए जाने वाले विषयों एवं पाठ्यक्रम को परिशिष्ट प्रथम व द्वितीय में सम्मिविष्ट किया गया है। प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होगा, इस हेतु साप्ताहिक टाईम टेबल तैयार किया जाएगा। संस्था प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक अपने विषय की विशेष जानकारी रखते हों साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नव नियुक्त आरक्षकों की प्रशिक्षण में प्रगति संतोषजनक रहे। संस्था प्रमुख व प्रभारी (इण्डोर/आउटडोर) प्रशिक्षण पर गहन पर्यवेक्षण रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि रिक्रूट पूर्ण एवं वृहद रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करे। संस्था प्रधान प्रभारी इण्डोर/आउटडोर की अनुशंसा पर विभिन्न यूनिट, संगठनों से व्यावसायिक रूचि के विषयों पर अतिथि व्याख्यान हेतु अधिकारियों की व्यवस्था करेंगे।

06 प्रशिक्षणार्थी को अंतिम परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में निश्चित समयावधि में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त न कर ले। इण्डोर व आउटडोर में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जायेगा। ऐसे प्रशिक्षणार्थी की सेवा समाप्ति पर विचार या आगामी बैच के साथ प्रशिक्षण में शामिल करने का आदेश दिया जा सकेगा। ऐसे उपयुक्त प्रकरणों में जिनमें 90 प्रतिशत से उपस्थिति कम है, उनमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण 5 प्रतिशत की छूट ऐसे प्रशिक्षणार्थी के स्वयं के प्रार्थना–पत्र एवं संस्था–प्रधान की अनुशंसा पर प्रदान कर सकेगा।

07 प्रत्येक माह के अंत में इण्डोर/आउटडोर के समस्त विषयों का कोर्स प्रभारी/कक्षा प्रभारी/स्क्वॉड प्रभारी द्वारा मासिक टेस्ट लिया जावेगा जो 10 अंक का होगा। इसी प्रकार प्रशिक्षण के मध्य (इण्डोर/आउटडोर विषयों का आधा पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर) में प्रत्येक विषय की एक मध्यावधि परीक्षा होगी। मध्यावधि परीक्षा में प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक की होगी। मध्यावधि परीक्षा संस्था प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी। मध्यावधि परीक्षा के इण्डोर विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घण्टे का होगा। इन परीक्षाओं के अंक अंतिम परीक्षा के परिणाम में नहीं जोड़े जायेंगे किन्तु यदि इन परीक्षाओं में रिक्रूट 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है, तो उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उसमें वांछित सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर द्वारा गठित बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा आयोजित की जावेगी। अन्तिम परीक्षा के इण्डोर विषय का प्रश्न पत्र 3 घण्टे का होगा। बोर्ड में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1. महानिरीक्षक पुलिस	–	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट	–	सदस्य सचिव

अंतिम परीक्षा में प्रत्येक इण्डोर व आउटडोर विषयों के लिए पृथक–पृथक 45 प्रतिशत उत्तीर्णांक होंगे तथा परीक्षा के समग्र उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे।

08 कम्प्यूटर विषय का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित जिला/यूनिट में दिया जायेगा एवं उन्हीं के द्वारा मुल्यांकन कर परिणाम निकाला जायेगा जो आरक्षकों के स्थाईकरण के लिये आवश्यक होगा।

09 परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।

10 छूट : इस स्थाई आदेश की किसी भी शर्त में छूट महानिदेशक पुलिस राजस्थान ही प्रदान कर सकेंगे।

प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी स्थाई आदेश संख्या: 13/2012 एवं पत्र संख्या: प–11(01)प्रशि./पॉलिसी/2012/6092–99 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा राजस्थान पुलिस रिक्रूट कानिस्टेबल के प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अतिक्रमण में वर्णित स्थाई आदेश द्वारा नवीन पाठ्यक्रम जारी किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशाली होगा।

संलग्नक : रिक्रूट कानि0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

11/8/14

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. महानिदेशक पुलिस, एस0सी0बी0, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर। (RPA)
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर/समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी0आर0पी0 अजमेर/जोधपुर।
7. प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0, जोधपुर।
8. कमाण्डेन्ट, पी0टी0एस0 जोधपुर/किशनगढ़/खैरवाड़ा/झालावाड़/बीकानेर/अलवर/भरतपुर/पी0एम0डी0एस0, बीकानेर।
9. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

11/8/2014

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर

कानिस्टेबल (रिक्रूट) प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1	प्रशिक्षण अवधि	270 दिवस (09 माह / 36 सप्ताह)
2	रविवार व अवकाश	72 दिवस
3	मध्यावधि परीक्षा / फायरिंग	06 दिवस
4	मध्यावधि अवकाश	06 दिवस
5	जंगल कैम्प	06 दिवस
6	अंतिम परीक्षा व पी0ओ0पी0	20 दिवस
7	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस	160 दिवस
8	कार्य दिवस – प्रति सप्ताह (राजपत्रित अवकाश के अलावा)	06 दिवस
7	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश (कालांश अवधि–40 मिनट)	1600
	अ. कुल इण्डोर कालांश (5 प्र[illegible]न)	160X5=800
	ब. (1) आउटडोर कालांश [illegible] प्रतिदिन)	160X4=640
	(2) खेल कालांश [illegible]1 सप्ताह में प्रथम 3 दिन सायंकाल) नोटः–एक महीने [illegible] सायंकाल में खेल कालांश होगा। एक महीने के उपरा[illegible] अभ्यार्थियों हेतु विशिष्ट अभिरूचि कालांश प्रारम्भ होगा	80X1=80
	(3) वि[illegible] अभिरूचि (01 सप्ताह में अन्तिम 3 दिन सायंकाल)	80X1=80
	स [illegible]ुल आउटडोर कालांश	640+160=800
	कुल इण्डोर व आउटडोर कालांश	800+800=1600

<u>इन्डोर विषय</u>

प्रश्नपत्र	विषय	कालांश	अंक
I	भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं लोक व्यवस्था, व्यक्तित्व विकास	150	100
II	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, स्थानीय एवं विशेष अधिनियम, व साक्ष्य अधिनियम	250	150
III	पुलिस कार्य प्रणाली – पुलिस थाना	200	125
IV	पुलिस कार्य प्रणाली – कानून व्यवस्था एवं पुलिस लाईन्स	200	125
–	कम्प्यूटर प्रशिक्षण – कम्प्यूटर प्रशिक्षण व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान संबंधित जिला/यूनिट में प्रदान किया जायेगा जो प्रशिक्षु कानि0 के स्थाईकरण की आवश्यक अर्हता होगी। विशिष्ट अभिरूचि – सभी प्रशिक्षणार्थियों को किसी एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र का चयन करना होगा जिसमें वे विशेषज्ञता हासिल करेंगे व इनके द्वारा अर्जित विशेष योग्यता एवं दक्षता का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट(30 अंक) एवं व्यावहारिक कार्य मूल्यांकन (20 अंक) द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इनके कालांश सांयकाल में होंगे। परिशिष्ट संलग्न है।	– –	– 50
–	प्रधानाचार्य/सहायक निदेशक/कमाण्डेंट द्वारा इन्डोर आंतरिक मुल्यांकन	–	50
	कुल योग सैमेस्टर	800	600

परिशिष्ट – I

इन्डोर विषय

रिक्रूट कानिस्टेबल प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र	विषय	कालांश	अंक
I	भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन, व्यक्तित्व विकास	150	100
	अ – भारतीय संविधान	15	15
	ब – मानव अधिकार	15	15
	स – आधुनिक भारत में पुलिस	45	25
	द – पुलिस संगठन और प्रशासन	55	35
	य – व्यक्तित्व विकास		
	• सम्प्रेषण दक्षता	4	2
	• नेतृत्व क्षमता	4	2
	• टीम भावना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	8	4
	• पुलिस छवि एवं नैतिकता	4	2
II	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि और स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	250	150
	अ – भारतीय दण्ड संहिता	105	60
	ब – दण्ड प्रक्रिया संहिता	90	50
	स – स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	50	30
	द – साक्ष्य अधिनियम	5	10
III	पुलिस कार्य प्रणाली – पुलिस थाना	200	125
	अ – पुलिस थाना	185	100
	ब – सामुदायिक पुलिसिंग	15	25
IV	पुलिस कार्य प्रणाली –कानून व्यवस्था एवं पुलिस लाईन्स	200	125
	अ – कानून व्यवस्था	100	60
	ब – पुलिस लाईन ड्यूटीज	56	40
	स – यातायात नियमन एवं प्राथमिक चिकित्सा	44	25
–	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	–	–
–	प्रधानाचार्य / सहायक निदेशक / कमाण्डेंट द्वारा इन्डोर आंतरिक मुल्यांकन	–	50
	कुल योग सैमेस्टर	800	550

प्रश्न पत्र – I

भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन, व्यक्तित्व विकास

कालांश – 150 व अंक – 100

अ – भारतीय संविधान : (कालांश 15, अंक 15)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	मूल अधिकार	8
2	पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन (अनुच्छेद 33)	3
3	मूल कर्त्तव्य	2
4	अनुच्छेद 311	2

ब – मानवाधिकार : (कालांश 15 अंक 15)

1	मानवाधिकार की अवधारणा और इसका महत्त्व	7
2	विभिन्न आयोग : • राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, • अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, • राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, • राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	8

स – आधुनिक भारत में पुलिस : (कालांश 45, अंक 25)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका एवं मानवाधिकार संरक्षण	10
2	पुलिस अवधारणा : • सेवा–उन्मुखी दृष्टिकोण, • व्यावसायिकता एवं छवि सुधार • पुलिस की आदर्श आचार संहिता	4
3	आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका और आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां	8
4	सामाजिक बुराइयां और उनके निवारण में पुलिस की भूमिका	6
5	जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के साथ पुलिस के संबंध	7
6	न्यायालयों का परिचयः • सर्वोच्च न्यायालय, • उच्च न्यायालय व • अधीनस्थ न्यायालय	6
7	राज्य अभियोजन विभाग	4

द – पुलिस संगठन और प्रशासन : (कालांश 55, अंक 35)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	भारतीय पुलिस का इतिहास	4
2	केन्द्रीय पुलिस संगठन : • सीआरपीएफ,	5

	• बीएसएफ, • आईटीबीपी, • सीआईएसएफ, • आरपीएफ, • आईबी, • सीबीआई, • एसएसबी,	
3	राज्य पुलिस का संगठन : • पुलिस मुख्यालय • रेंज कार्यालय • पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत कार्यालय, पुलिस थाना (परिचयात्मक अध्ययन) • सीआईडी (सीबी) • सीआईडी (एसएसबी) • राजस्थान सशस्त्र दल (आर0ए0सी0 / एम0बी0सी0) • राजकीय रेल्वे पुलिस (जी0आर0पी0) • एन्टी टैररिस्ट स्क्वॉड (ए0टी0एस0) • स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस0ओ0जी0) • राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एस0सी0आर0बी0) • एस.डी.आर.एफ. • पुलिस दूरसंचार	20
4	राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली	5
5	निम्न संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी : • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए0सी0बी0) • विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ0एस0एल0) • गृह रक्षा दल व नागरिक सुरक्षा • जेल प्रशासन • अग्निशमन सेवा	5
6	• पुलिस के रैंक एवं बैजेज • अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगने वाले झण्डे, तारे एवं चिन्ह	2
7	सेवा नियम : • सेवा संबंधी– वर्दी, विभिन्न उपकरण, शस्त्र एवं गोला बारूद, अनुशासन, पुरस्कार, दण्ड, पदोन्नति एवं अवकाश, कल्याणकारी उपाय, शिकायतों के निवारण संबंधी प्रावधान • राजस्थान सिविल सेवा आचारण नियम 1971 (नियम 4, 4ए, 7, 9, 18, 21, 26) • राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 (नियम 13, 14, 15, 16, 17, 19) • राजस्थान सेवा नियम – नियम 86	14

य. व्यक्तित्व विकास (कालांश 20, अंक 10)

क्र.सं.	विषय : व्यक्तित्व विकास	कालांश
	अ – सम्प्रेषण दक्षता	4
	ब – नेतृत्व क्षमता	4
	स – टीम भावना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	8
	द – पुलिस छवि एवं नैतिकता	4

नोट :--उक्त विषयों में भारतीय संविधान, मानवाधिकार एवं राज्य/केन्द्रिय पुलिस संगठनों का सामान्य ज्ञान प्रदान किए जाने का उद्देश्य है। उक्त में मानवाधिकारों की अवधारणा व मानवाधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका, राष्ट्रीय एकता को खतरे एवं आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका और सिविल सेवा आचरण नियम, सी. सी.ए. रूल्स आदि बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

प्रश्नपत्र – II

भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि और स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

कालांश – 250 व अंक – 150

अ – भारतीय दण्ड संहिता : (कालांश 105, अंक 60)

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1	सामान्य स्पष्टीकरण	21, 34	4
2	दण्ड	75	1
3	सामान्य अपवाद	76–95, 96–99, 100–103, 105, 106	10
4	दुष्प्रेरण	107–109	3
5	आपराधिक षडयंत्र	120क, 120ख	2
6	राज्य के विरूद्ध अपराध	121, 124क	2
7	लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराध	141–149, 153क, 159, 160, 283	8
8	मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरूद्ध अपराध	186,191–193, 201, 211, 212, 223, 224, 225	6
9	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध	279, 292–294	6
10	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध	299, 300, 302, 304, 304क, 304ख, 306–309, 319, 320, 323–328, 332–333, 336–338, 339–342, 353, 354, 359–366, 366क, 375, 376, 376ख, 376ग, 376घ, 377	35
11	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध	378–384, 390–399, 401, 402, 411 419, 420, 425, 427, 441–448, 451, 452, 454, 457–460	21
12	पति व उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता	498क	1
13	अपराधों को करने का प्रयत्न	509–511	2
14	भारतीय दण्ड संहिता में नवीनतम संशोधन		4

ब – स्थानीय एवं विशेष अधिनियम (कालांश 50, अंक 30)

क्र.सं.	शीर्षक	धाराऐं	कालांश
1	मोटर वाहन अधिनियम 1988	2–5, 39, 66, 119, 133, 134, 146, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 190, 192, 194, 196, 201, 202, 204, 206, 207	6
2	नॉइज कन्ट्रोल एक्ट,	2–6,8	1
3	राजस्थान धुम्रपान निषेध अधिनियम	7/11, 9/11	2
4	आयुध अधिनियम 1959	2, 3/25, 4/25, 39	3
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908	2, 4	3
6	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884	4घ, 6क, 13	3
7	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	3, 4	2
8	वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972	2, 51–55	2
9	राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950	16/54, 19/54	2
10	राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश 1949	3, 4, 5, 13	3
11	• राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 • राजस्थान पुलिस नियम 2008 • राजस्थान पुलिस नियम 1948 • राजस्थान पुलिस विनियम 1965	• धारा 2, 29–41, 43, 55, 60, 61, 62 • नियम 7, 8, 9, 12, 13, 14 • सामान्य परिचय • सामान्य परिचय	15
12	राजस्थान वन अधिनियम 1953	33,52–54,64,66	1
13	बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012	3–12,19,21,23,24,27	2
14	किशोर न्याय अधिनियम 2000	2(ख), 2(घ), 2(ट), 2(ठ), 10, 12, 13, 17, 23, 21, 24, 26, 27, 63	2
15	लोक सम्पति हानि निवारण अधिनियम 1984	2(क), 3, 4, 5	2
16	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रमुख प्रावधान		1

स – दण्ड प्रक्रिया संहिता : (कालांश 90, अंक 50)

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1	परिभाषाएं	2 (क), (ग), (घ), (छ), (ज), (ठ), (ण), (ब), (भ)	6
2	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता	36–40	8
3	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	41–60, 60क	10
4	सम्मन	61–69	10
5	वारंट एवं उद्घोषणाएं	70–83	8

6	चीजें पेश करने के लिये सम्मन, तलाशी वारंट, एवं तलाशी सम्बन्धी सामान्य प्रावधान	91, 97, 98, 100, 102	8
7	परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	106–110	8
8	लोक व्यवस्था बनाए रखेना	129, 130, 132, 133, 144, 145	8
9	पुलिस के निवारक कार्य	149, 150, 151	8
10	पुलिस को सूचना एवं उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ	154–156, 174,176	6
11	जमानत के बारे में उपबन्ध	436–438	5
12	दण्ड प्रक्रिया संहिता में नवीनतम संशोधन		5

द – साक्ष्य अधिनियम :

(कालांश 5, अंक 10)

क्र.स.	शीर्षक	धाराऐं	कालांश
1	साक्ष्य अधिनियम का सामान्य परिचय	सामान्य परिभाषाएँ, 3 – तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य, साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम	2
		मृत्युकालीन घोषणा 32(1), आर.पी.आर. 1965 नियम 6.22	1
		विशेषज्ञों की राय 45	1
		प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य 61, 62, 63, 65	1

नोट :–भारतीय दण्ड संहिता को पढाये जाने का मुख्य उद्देश्य नव आरक्षक को अपराध की प्रकृति एवं दण्ड विधान से अवगत कराना है। ताकि वह समाज में गठित होने वाली घटनाओं एवं कृत्यों का मूल्यांकन वैधानिक प्रावधानों के सन्दर्भ में कर सके। धाराओं की सामान्य जानकारी दी जानी है और जहाँ कई स्थानों पर दण्डात्मक धाराओं के साथ परिभाषा को भी समझना होगा, जो पाठ्यक्रम में उल्लेखित नही है किन्तु प्रशिक्षक ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को समझाने हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य करेंगे।

स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियमों की सामान्य जानकारी प्रदान किया जाना पर्याप्त है। कोई कृत्य किस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है, उसमें कार्यवाही के लिये कौन अधिकृत है एवं पुलिस की सीमाएं एवं ऐसे कृत्य/घटना या वस्तु को सामने देखने पर आरक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है आदि बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम – धाराओं का प्रारम्भिक ज्ञान ही प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है ताकि आरक्षक अपराध, दण्ड विधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं साक्ष्यों का महत्त्व समझ सके। व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, समन व वारण्ट की तामील, परिशान्ति कायम रखने हेतु सदाचार के लिए प्रतिभूति एवं विधि विरूद्ध जमाव आदि बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाना है। आरक्षकों को गिरफ्तारी, समन एवं वारण्ट की तामील कैसे की जायेगी का व्यावहारिक ज्ञान कक्षा में प्रायोगिक रूप में दिया जाए। परिशान्ति कायम रखने हेतु सदाचार के लिए प्रतिभूति के इस्तगासे प्रायोगिक रूप से तैयार करवाएं।

प्रश्न पत्र– तृतीय

पुलिस कार्यप्रणाली

पुलिस थाना

कालांश : 200

अंक : 125

अ. पुलिस थाना (कालांश : 185 अंक : 100)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	**पुलिस स्टेशन पर संतरी ड्यूटीः आरपीआर 1948 नियम 202, 203 –**	
	(क) संतरी के कर्त्तव्य और थाने पर आने वाले व्यक्तियों के साथ सदाचार।	6
	(ख) गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं पुलिस हिरासत में मृत्यु के कारण व निवारण के उपाय।	2
	(ग) पुलिस अभिरक्षा में निरूद्व व्यक्तियों के प्रति बरती जाने वाली सावधानियां	2
	(घ) व्यावहारिक प्रदर्शन।	4
2	**दुरसंचार :**	
	(क) पुलिस दूरसंचार प्रणाली – परिचय एवं वायरलैस ड्यूटी	4
	(ख) रेडियो टेलिफोनी (कॉल साईन, प्रक्रिया, उपकरण) – डेमो एवं प्रायोगिक दूरसंचार संदेश लेखन।	3
	(ग) कंट्रोल रूम एवं पुलिस मोबाईल।	3
	(घ) संचार के आधुनिक तरीके।	3
	(ड.) व्यावहारिक प्रदर्शन।	3
3	**साधारण जाँच :**	
	(क) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट।	3
	(ख) निवास स्थान सत्यापन	5
	(ग) परिवाद की जॉच कर रिपॉर्ट तैयार करना।	5
	(घ) परिवाद की जॉच का व्यावहरिक ज्ञान।	5
4	**न्यायिक कर्तव्य :**	
	(क) न्यायालयों का परिचय।	2
	(ख) साक्ष्य देने की प्रक्रिया ।	3

	(ग) न्यायालय सहायक के कार्य।	3
	(घ) न्यायालय भ्रमण : न्यायालय के कार्य का व्यावहारिक ज्ञान	3
	(ड) न्यायालय की अवमानना : सामान्य परिचय	2
	(य) एकत्रित किये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में रोजनामचाआम में प्रविष्टियाँ	2
5	अपराध रिकॉर्ड का संधारण :	
	(क) रोजनामचा आम संधारण एवं लेखन से संबंधी सामान्य नियम आरपीआर 1948 नियम 279, आरपीआर 1965 नियम 3.38. 3.39, 3.40, 3.41।	4
	(ख) ग्राम अपराध पुस्तिका का संधारण।	3
	(ग) पुलिस स्टेशन रिकार्ड/फार्म/रजिस्टर और उनमे इन्द्राज करना (आरपीआर 1965 नियम 3.35)।	6
	(घ) रिकॉर्ड संधारण का व्यावहारिक ज्ञान।	12
	(ड.) पुलिस थाने का भ्रमण, थानों पर रिकॉर्ड संधारण एवं कानिस्टेबल ड्यूटी का व्यावहारिक ज्ञान।	6
6	अंगुल चिन्ह :	
	(क) बनावट, वर्गीकरण तथा विशेषताए।	2
	(ख) अंगुल चिन्हों को विकसित करने की विधियॉ।	2
	(ग) अंगुल चिन्ह के प्रदर्शो की पैकिंग, लेबल लगाना व ले जाना – आरपीआर 1948 नियम 415, 416, 417, 418, 420।	2
	(घ) घटना स्थल से चांस प्रिन्ट की खोज व विकसित करके उठाना (*Practical*)।	3
7	पद चिन्ह : (क) घटनास्थल से पद चिन्ह उठाने के तरीके – आर.पी.आर. 1965 नियम 6.26।	2
	(ख) पद चिन्हों का वर्गीकरण, पद चिन्हों को सुरक्षित रखना, पैकिंग और भेजना।	2
	(ग) पद चिन्ह उठाने का व्यावहारिक प्रदर्शन।	2
8	महिला डेस्क : सामान्य कार्य एवं रजिस्टर संधारण	2
9	घटनास्थल	
	(क) घटना स्थल की सुरक्षा एवं अपराध अनुसंधान में इसका महत्व।	3
	(ख) छदम घटना स्थल का आयोजन एवं साक्ष्य संबंधी सामान्य जानकारी।	3
	(ग) साक्ष्य का संकलन एवं साक्ष्य की अभिरक्षा की श्रृंखला का महत्व।	3

10	**बीट प्रणाली :**	
	(क) बीट प्रणाली का परिचय (आरपीआर 1965 नियम 2.28)।	3
	(ख) अपराधों की रोकथाम में बीट प्रणाली का महत्त्व।	3
	(ग) बीट डयूटी– दिन एवं रात्रि में, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में।	2
	(घ) बीट बुक की जानकारी एवं संधारण।	3
	(ड.) सी.एल.जी. की सामान्य जानकारी, मीटिंग एवं सदस्यों से समन्वय।	3
	(च) बीट कानिस्टेबल का समुदाय के विभिन्न वर्गों, विभागों एवं स्थानों से समन्वय व सूचनाओं का आदान–प्रदान।	2
	(छ) हिस्ट्रीशीटर, गुन्डा, अभ्यस्त अपराधियों व नकबजनों की गतिविधियां पर निगरानी।	3
	(ज) संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'अ' व 'ब' भरनां।	2
	(झ) बीट का भ्रमण, रात्री विश्राम एवं कार्यों का व्यावहारिक ज्ञान।	10
11	**आसूचना संकलन :**	
	(क) आसूचना का अर्थ एवं प्रकार।	4
	(ख) आसूचना संग्रहण के सामान्य सिद्धान्त।	2
	(ग) आसूचना का संग्रहण में ध्यान रखने योग्य बाते।	2
	(घ) आसूचना का व्यावहारिक ज्ञान	2
12	सम्मन /वारंट की तामील प्रक्रिया।	6
13	**प्रतिवेदन लेखन (*Report Writing*) :**	
	(क) प्रतिवेदन लेखन के सामान्य सिद्धान्त।	4
	(ख) सम्प्रेषण कौशल – मौखिक एवं लिखित सम्प्रेषण।	2
	(ग) थाने पर दैनिक कार्यों में पत्र लेखन, नक्शे तैयार करना, घटना एवं दृश्यों को देखकर प्रतिवेदन लेखन।	6

14	कार्य स्थल पर सरकारी सामान का रख–रखाव : (क) किट रख–रखाव। (ख) सरकारी सामान, रजिस्टर का संधारण एवं सरकारी सामान का रख–रखाव ।	 3 5

ब. सामुदायिक पुलिसिंग — कालांश : 15, अंक : 25

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा :	3
2	जनता व पुलिस के बीच समन्वय में सामुदायिक पुलिसिंग का महत्व ।	3
3	सामुदायिक सम्पर्क समूह (CLG) का गठन एवं भूमिका	3
4	अपराधों की रोकथाम में सी.एल.जी. का महत्व।	3
5	व्यावहारिक प्रशिक्षण : सी.एल.जी. सदस्यों के साथ संवाद।	3

नोट :– सभी विषयों के प्रशिक्षण को रोचक बनाने के लिए प्रशिक्षण सहायक सामग्री, यथा – ऑडियो–विज्युअल एड्स, पॉवर पाईन्ट प्रजेन्टेशन का प्रयोग करें। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से व्यक्तिशः संबंध स्थापित कर संवाद करें तथा प्रशिक्षणार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता द्वारा सिखलाई की प्रक्रिया को चलाया जावे। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों की सामान्य जानकारी के साथ–साथ आरक्षकों को किसी एक थाने का भ्रमण करवाया जाकर थाने पर सन्तरी ड्यूटी, टेलीफोन/वायरलैस ड्यूटी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावे। थाना रिकॉर्ड संधारित करने का प्रायोगिक कार्य करवाया जावे। बीट का भ्रमण करवाकर, बीट कानिस्टेबल की ड्यूटी की व्यावहारिक जानकारी दी जावे तथा बीट बुक संधारित करने का प्रायोगिक अभ्यास करवाया जावे। वास्तविक/काल्पनिक घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जाकर घटनास्थल का महत्त्व एवं इसकी सुरक्षा बाबत व्यावहारिक जानकारी दी जावे। सीएलजी के सदस्यों से संवाद करवाकर सामुदायिक पुलिसिंग का महत्व बताया जावे।

प्रश्न पत्र– चतुर्थ

पुलिस कार्यप्रणाली

कानून व्यवस्था एवं पुलिस लाईन्स

कालांश : 200
अंक : 125

अ. कानून व्यवस्था (कालांश : 100 अंक : 60)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	गश्त :	
	(क) गश्त का महत्त्व।	2
	(ख) गश्त के सामान्य सिद्धान्त।	2
	(ग) गश्त के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें।	2
	(ड) गश्त का व्यावहारिक ज्ञान।	8
2	दबिश, घेराबन्दी व तलाशी :	
	(क) दबिश,धेराबन्दी व तलाशी का अर्थ एवं साधारण सिद्धान्त।	3
	(ख) दबिश,घेराबन्दी व तलाशी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें।	2
	(ग) दबिश,घेराबन्दी व तलाशी का व्यावहारिक प्रदर्शन।	3
3	नाकाबंदी :	
	(क) नाकाबंदी के सामान्य सिद्धान्त।	2
	(ख) नाकाबंदी के लिए आवश्यक संसाधन एवं तैयारी।	2
	(ग) नाकाबंदी का संचालन एवं ध्यान योग्य बातें।	2
	(घ) स्थाई पिकेट पर चैकिंग।	2
	(ड़) नाकाबंदी का व्यावहारिक प्रदर्शन।	4
4	मोबाईल ट्रेकिंग	
	• मोबाईल ट्रेकिंग एवं सेलफोन डाटा का अनुसंधान में उपयोग।	2
	• व्यावहारिक प्रदर्शन। (*Practical*)	2

5	**भीड़ नियंत्रण :**	
	(क) भीड़ के प्रकार।	2
	(ख) भीड़ की संख्या का अनुमान लगाना।	2
	(ग) भीड़ की मंशा का पता लगाना।	2
	(घ) विभिन्न प्रकार की भीड़ नियन्त्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता – विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के साथ।	2
	(ड़) भीड़ नियंत्रण के विभिन्न तरीके।	2
	(ड.) भीड़ नियंत्रण का व्यावहारिक प्रशिक्षण।	2
6	**निगरानी एवं अवलोकन**	
	(क) निगरानी की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व।	2
	(ख) निगरानी क्यों व किसकी।	2
	(ग) निगरानी में रखी जाने वाली सावधानियॉ।	2
	(घ) अवलोकन का अर्थ एवं महत्व।	1
	(ड़) अवलोकन के तरीके एवं ध्यान रखने योग्य बिंदु।	1
7	**जनता के साथ पुलिस का व्यवहार :**	
	(क) सामान्य शिष्टाचार एवं आचरण।	2
	(ख) थाने पर आने वाले/सूचना प्रेषित करने वाले पीड़ित/ परिवादी से व्यवहार।	2
	(ग) बीट ड्यूटी के समय नागरिकों के साथ व्यवहार।	2
	(घ) मेले, उत्सव, त्यौहार एवं सार्वजनिक आयोजनों के समय व्यवहार	2
	(ड.) व्यावहारिक प्रशिक्षण।	2

8	कानून व्यवस्था एवं बन्दोबस्त ड्यूटी– (क) वी0आई0पी0 यात्रा में एकत्रित भीड़ का प्रबन्धन। (ख) धार्मिक जुलूसों/समारोहों में भीड़ का प्रबन्धन। (ग) बाजार, मेलों/त्यौहारों, जन सामान्य द्वारा की जाने वाली रैलियों एवं सभाओं, छात्रों एवं श्रमिकों द्वारा आन्दोलन के दौरान व्यवस्था। (घ) साम्प्रदायिक तनाव/दंगो के नियन्त्रण में पुलिस के कर्तव्य एवं भूमिका – आर. पी.आर. 1948 नियम 184, 185, 189। (ड.) कर्फ्यू एवं दंगो के दौरान जान–माल की सुरक्षा में पुलिस के कर्तव्य। (च) विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करना, कानून व्यवस्था में न्यूनतम बल प्रयोग। (छ)चुनाव में पुलिस की भूमिका–मतदान दल/इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम0) की सुरक्षा, मतदान केन्द्र पर निष्पक्ष मतदान करवाना (ज) व्यावहारिक प्रशिक्षण।	 3 3 3 3 2 2 2 4
9	वी0आई0पी0 सुरक्षा : (क) वी.आई.पी. सुरक्षा के सिद्धान्त। (ख) एयरपोर्ट/हैलीपेड, सभास्थल, रूट तथा निवास स्थान पर व काफिला ड्यूटी। (ग) एक्सेस कन्ट्रोल (घ) व्हीकल सर्च। (ड़) व्यावहारिक प्रशिक्षण।	 2 2 2 1 3
भागः ब. पुलिस लाईन्स ड्यूटीज (कालांश : 56 अंक : 40)		
01	ट्रेजरी गार्ड एवं अन्य गार्ड ड्यूटी में संतरी के कर्तव्य : आरपीआर 1948 के नियम 143, 146, 147, 150, 152 से 155, 157 से 162, 165 से 170।	10
02	एस्कोर्ट एवं चालानी गार्ड डयूटी : (क) बंदी को कोर्ट/जेल ले जाने के दौरान आरक्षी की एस्कोर्ट ड्यूटी। (ख) बंदी की देखभाल।	 4 4

	(ग) अस्पताल गार्ड ड्यूटी के दौरान संतरी के कर्त्तव्य (आरपीआर 1948 के नियम 173, 174, 177)।	4
	(घ) बैंक से नकदी एवं मूल्यवान कोष की एस्कोर्ट के दौरान आरक्षी की ड्यूटी।	4
	(ड.) ट्रेन/बस में एस्कोर्ट ड्यूटी ।	4
	(च) एस्कोट ड्यूटी का व्यावहारिक प्रशिक्षण।	5
03	पुलिस की अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्ति की सुरक्षा :	
	(क) बंदी का सुरक्षित अभिरक्षण एवं एस्कोर्ट पार्टी की जवाबदेही।	4
	(ख) आरपीआर 1948 के नियम 178, 179।	4
	(ग) अभिरक्षा में से भागने से रोकने के उपाय।	4
	(घ) अभिरक्षा से बंदी के फरार होने पर एस्कोर्ट पार्टी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ।	6
04	कमाण्ड सर्टिफिकेट और उसका उपयोग	3
भागः स..	यातायात नियमन एवं प्राथमिक चिकित्सा (कालांश : 44 अंक : 25)	
1	यातायात नियमन :	
	(क) यातायात नियमन का परिचय।	4
	(ख) यातायात नियंत्रण उपकरण, डिवाइसेज एवं यातायात संकेतक।	4
	(ग) नये संकेतों की जानकारी, गति मापक यन्त्र (इन्टर सैप्टर), श्वास विश्लेषक यन्त्र(ब्रेथ एनालाइजर) की जानकारी।	2
	(घ) यातायात ड्यूटी के दौरान आचरण।	4
	(ड़) चौराहों पर यातायात नियमन ।	4
	(च) दुर्घटना स्थलों की सुरक्षा, न्यायिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जैसे – स्किड मार्कस्। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत : पीड़ितों का प्राथमिक उपचार एवं उन्होंने अस्पताल पहुँचाना।	6
	(छ) यातायात जाम के दौरान ड्यूटी।	4
	(ज) यातायात नियंत्रण का व्यावहारिक प्रशिक्षण।	4
2	आपदा प्रबन्धन तथा प्राथमिक चिकित्सा :	
	(क) आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका।	3

	(ख) बचाव एवं राहत : प्राकृतिक आपदा जैसे – बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, अन्य आपदाएं जैसे – सुखा, तुफान, आगजनी की घटनाएं एवं गंभीर दुर्घटनाएं। (ग) प्राथमिक चिकित्सा। (घ) प्राथमिक चिकित्सा व्यावहारिक प्रदर्शन।	3 3 3

नोट :– सभी विषयों के प्रशिक्षण को रोचक बनाने के लिए प्रशिक्षण सहायक सामग्री, यथा–ऑडियो–विज्युअल एड्स, पॉवर पाईन्ट प्रजेन्टेशन का प्रयोग करें। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से व्यक्तिशः संबंध स्थापित कर संवाद करें तथा प्रशिक्षणार्थियों की अधिकाधिक से सहभागिता द्वारा सिखलाई की प्रक्रिया को चलाया जावे। विषयों की सामान्य जानकारी कराए जाने के साथ–साथ नाकाबन्दी का व्यावहारिक प्रदर्शन द्वारा प्रशिक्षण दिया जावे। कोर्ट एवं चालानी गार्ड का भ्रमण करवाया जाकर गार्ड ड्यूटी और विभिन्न प्रकार की ऐस्कोर्ट ड्यूटी मुख्यतः मुल्जिम की तारीख पेशी ड्यूटी का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जावे। भीड़ नियन्त्रण के सिद्धान्त, विभिन्न प्रकार की बन्दोबस्त ड्यूटीज, कर्फ्यू व दंगों के दौरान सुरक्षा ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, वीआईपी सुरक्षा के सिद्धान्त एवं ड्यूटी और आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

विषय : विशिष्ट अभिरूचि

कालांश : 80

पूर्णांक: 50

प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से अपनी रूचि के किसी एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र(विषय) में भाग लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी उक्त विषय के लिये निर्धारित कालॉशों में अपनी रूचि के कार्यक्षेत्र में भाग लेकर विशेष योग्यता विकसित करेंगे एवं व्यावहारिक कार्य से दक्षता प्रदर्शित करेंगे :-

क0सं0	विशिष्ट कार्यक्षेत्र(विषय)
1.	लोक संभाषण एवं प्रतिवेदन लेखन
2.	कम्प्यूटर
3.	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी
4.	विद्युत रख-रखाव एवं नलसाजी
5.	मोबाईल फोन ट्रेकिंग
6.	पुलिस स्टेशन में रिकार्ड का रख-रखाव
7.	पुलिस लाईन की प्रशासनिक व्यवस्थाऐं
8	प्रतिकृति निर्माण, अगुंल चिन्ह और पद चिन्ह उठाना।
9	क्राइम सीन ऑब्जर्वेशन एवं घटना स्थल से साक्ष्य संकलित कर पैकेजिंग करना।
10	पी.एस.ओ. ड्यूटी
11	एथलेटिक्स
12	हॉकी
13	वॉलीबाल
14	बास्केटबॉल

प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् स्थानीय बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा आयोजित कर प्रशिक्षणार्थी के द्वारा अर्जित विशेष योग्यता एवं दक्षता का मूल्यांकन किया जायेगा।

क0सं0 1 से 10 तक अंकित विषयों में 30 अंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 20 अंक व्यावहारिक कार्य के मूल्यांकन के लिये निर्धारित होंगे।

क0सं0 11 से 14 तक अंकित विषयों में प्रदर्शन के स्तर आधार पर व्यावहारिक दक्षता का मूल्यांकन किया जायेगा।

परिशिष्ट –II

आउटडोर विषय

रिकूट कानिस्टेबल प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र - I "अ" शारीरिक प्रशिक्षण–पुरुष

क्र.सं.	विषय	कालांश–180	अंक–100
1	i कनेडियन पीटी 5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6 तक ii आर.टी.सी. (फ्रीहैण्ड) पी.टी. चार्ट न0 1 से 6 तक	16 16	10 10
2	योगासन–	12	05
3	ग्राउण्ड वर्क–गद्दे पर प्रशिक्षण	15	05
4	तीनों दर्जे के रस्सों पर प्रशिक्षण	15	10
5	घोड़ा (आड़ा व लम्बा)	15	10
6	वॉक एवं रन– 10 किमी 45,50,55 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	26	10
7	बीम पर कार्य चिनअप अण्डरग्रिप–6 ओवरग्रिप 4	15	10
8	असाल्ट–रूकावटें पार करना	18	10
9	ऊँची (3–5′) तथा लम्बी (12–15′) कूदें	15	10
10	यू.ए.सी–Holds,Release, kicks, Falls, punches, karate, kaiten	17	10
11	खेल नियमित	–	–
12	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 10 किमी रूट मार्च करवाया जाएगा।	–	–

"ब" शारीरिक प्रशिक्षण–महिला

क्र.सं.	विषय	कालांश–180	अंक–100
1	i कनेडियन पीटी 05 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 4 तक ii आर.टी.सी. (फ्रीहैण्ड) पी.टी. चार्ट न0 1 से 6 तक	16 16	10 10
2	योगासन–	12	05
3	ग्राउण्ड वर्क–गद्दे पर प्रशिक्षण	15	05

4	रस्सों पर प्रशिक्षण केवल तीसरा दर्जा	15	10
5	घोडा–आडा	15	10
6	वॉक एवं रन– 05 कि.मी 30,32,35 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	26	10
7	बीम पर बैलेन्स बनाकर चलना	15	10
8	असॉल्ट–कमाण्डो ऑब्स्टेकल व 9' दीवार के अलावा	18	10
9	ऊँची कूद (2.5', 3', 3.5') तथा लम्बी कूद (10', 11', 12')	15	10
10	यू.ए.सी–Holds,Release, kicks, Falls, punches, karate, kaiten	17	10
11	खेल नियमित	–	–
12	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 10 कि.मी. रूट मार्च करवाया जाएगा।	–	–

प्रश्नपत्र -- II

ड्रिल

क्र.सं.	विषय	कालांश–190	अंक–100
1.	खाली हाथ ड्रिल	50	20
2.	हथियार सहित ड्रिल	50	20
3.	राईफल एक्सरसाईज (7.62 एमएम एस एल आर व .303 राईफल से)	20	15
4.	केन ड्रिल	08	05
5.	गार्ड ड्यूटीज	16	10
6.	यातायात	08	02
7.	सेरेमोनियल ड्रिल	17	11
8.	कंम्पनी ड्रिल एवं प्लाटून ड्रिल	10	05
9.	सम्मान गार्ड	07	05
10.	अन्त्येष्टि कवायद	04	02
11.	टर्न आउट	00	05

<u>प्रश्नपत्र – III</u>

हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री

क्र.सं.	विषय	कालांश–140	अंक–100
1.	राईफल .303	15	04
2.	5.56 एमएम इन्सास	05	02
3.	राईफल 7.62 एसएलआर	20	03
4.	एलएमजी 303 / 7.62 एमएम	20	04
5.	9 एमएम स्टेन गन / कारबाईन मशीन	08	04
6.	.22 राईफल, 12 बोर राईफल	10	02
7.	एके 47 एवं एके 56 राईफल	14	04
8.	प्रोजैक्टर पायरो टैक्नीक (मिनी फ्लयेर पी–4) / वी.एल.पी., नाईट विजन डिवाइस का समान्य परिचय	05	04
9	जी.एफ. राईफल एवं एच.ई–36 ग्रेनेड	02	04
10.	.38 रिवाल्वर, 9 ण्6 एम.एम पिस्टल,ग्लॉक पिस्टल की जानकारी	12	04
11.	विस्फोस्टक व बम डिस्पोजल (आई.ई.डी, डेटोनेटर, सेफटी फ्यूज तथा विस्फोटक को इस्तेमाल करना)	04	05
12	फायरिंग व मस्केट्री	25	60

<u>प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार फायरिंग अभ्यास होगा</u>

1. 12 वें सप्ताह में 10 राउण्ड .22 राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर) एवं 5 ऐप्लीकेशन प्रेक्टिस (पोजीशन लेटकर)। टारगेट 1'X1'रेन्ज 25 गज।
2. 18 वें सप्ताह में 15 राउण्ड 7.62 एम.एम. एस.एल.आर राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर) 5 ऐप्लीकेशन (पोजीशन नीलिंग) एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रैक्टिस (पोजीशन स्टैडिंग) तथा 15 राउण्ड .303 राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर), 5 ऐप्लीकेशन (पोजीशन नीलिंग) एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रैक्टिस(पोजीशन स्टैडिंग)। टारगेट 4'X4'रेन्ज 100 / 200 गज।
3. 24 वें सप्ताह में ए.के.–47 / 56 राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर), 5 ऐप्लीकेशन (पोजीशन नीलिंग) तथा 5.56 इन्सास राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर), 5 ऐप्लीकेशन प्रेक्टिस (पोजीशन स्टैडिंग) । टारगेट 11" रेन्ज 100 गज।

4. अंतिम परीक्षा फायरिंग

1.	.303 RIFLE 5 राउण्ड ग्रुपिंग, रेन्ज–100 गज टारगेट 4X4 अंक–10 (पोजिशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज–100 गज टारगेट 4X4 अंक–10 (नीलिंग पोजिशन) 5 राउण्ड स्नैप शूटिंग, रेन्ज–100 गज टारगेट 22"–अंक 10 (स्टैंडिंग पोजीशन)	15 राउण्ड	30
2.	SLR 7.62 mm 5 राउण्ड ग्रुपिंग, रेन्ज–100 गज टारगेट 4X4 अंक–10 (पोजिशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज--100 गज टारगेट 4X4 अंक–10 (निलिंग पोजिशन) 5 राउण्ड स्नैप शूटिंग, रेन्ज–100 गज टारगेट 22" अंक–10 (स्टैंडिंग पोजीशन)	15 राउण्ड	30

ग्रुप ईन्च में	2	3–4	5–6	7–8	9–10	11–12
अंक	10	9	8	7	6	5

ऐप्लीकेशन	बुल	इनर	मेगपाई	आउटर
अंक	2	$1^{3/4}$	$1^{1/2}$	1

स्नैप शूटिंग अंक – प्रत्येक 1 हिट गोली के 02 अंक

कुल		60

प्रश्नपत्र – IV

पुलिस विषय

क्र.सं.	विषय	कालांश–65	अंक–50
1.	लाठी ड्रिल	10	10
2.	बलवा परेड, भीड़ नियंत्रण (अनियंत्रित भीड़ के समक्ष आत्म नियंत्रण, समझाइश के तरीके, पथराव पर संयम सहित नियंत्रण के तरीके और बलवा परेड)	30	18
3.	रबर बुलेट, प्लास्टिक पैलेट, प्लास्टिक बुलेट, एन्टी रॉईट गन, वॉटर केनन, वज्र, अश्रु गैस, गैस गन, गैस मास्क (पोली कार्बोनेट) प्लास्टिक ढाल, हैलमेट, केन की जानकारी।	12	10
4.	फायर फाइटिंग	03	05
5.	रैस्क्यू एवं साल्वेज	06	05
6.	बिगुल कॉल की जानकारी	04	02

प्रश्नपत्र – V

फील्ड क्रापट एवं टैक्टिस

क्र.सं.	विषय	कालांश = 65	अंक -50
1	फील्ड क्राफ्ट (कैमोफ्लाइजं एंव कन्सीलमेन्ट)	08	04
2.	ई.ओ.डी.	04	04
3.	मैप रीडिंग एवं जीपीएस का व्यवहारिक ज्ञान	04	04
4.	फील्ड टैक्टिक्स (सैक्शन फॉरमेशन व चांस एन्काउटर)	05	04
5.	एम्बुश / काउन्टर एम्बुश, पैट्रोलिंग	13	08
6.	दस्यु उन्मूलन	04	02
7	घेराबन्दी, दबिश व तलाशी	10	10
8.	नाकाबन्दी	10	06
9	वी.आई.पी. सुरक्षा (प्रैक्टिकल) (अ) ऐन्टी सबोटेज चैक (ब) हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी (स) व्हीकल सर्च (द) समारोह स्थल की सुरक्षा	05	04
10.	एस्कॉर्टिंग (कैश, आर्म्स एवं एम्युनेशन)	02	04